सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 846 राँची, बुधवार, 17 कार्तिक, 1938 (श०)

8 नवम्बर, 2017 (ई०)

उघोग खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

25 अक्टूबर, 2017

विषय - झारखण्ड राज्य अन्तर्गत खनिज ब्लॉको का विस्तृत भूतात्विक अन्वेषण हेतु सर्वश्री मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लि०, नागपुर को तीन वर्षो के लिए नामांकन के आधार पर चयन के संबंध में ।

संख्या- भू०नि०अन्वे०-72/2017 1452 /एम०,-- झारखण्ड एक खनिज प्रधान देश है । सम्पूर्ण भारत वर्ष का लगभग 40 प्रतिशत खनिजों का भंडार इस प्रदेश में है । कोयला, लौह अयस्क, कॉपर, स्वर्ण खनिज, बॉक्साईट, ग्रेफाईट, मैग्नेटाईट, कायनाईट, यूरेनियम, चूना पत्थर इत्यादि खनिजों के भंडार एवं उत्पादन में राज्य का प्रमुख स्थान है । देश में सभी खनिजों का उत्पादन के दृष्टिकोण से राज्य का स्थान तीसरा हैा राज्य के आर्थिक, सामाजिक

एवं औघोगिक विकास में खनिज प्रक्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है । प्रदेश के अधिकाश भू-भाग अभी भी भूतात्विक दृष्टिकोण से पूर्णत अन्वेषित नही है ।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधित अधिनियम, 2015 की धारा 10 एवं 11 के तहत खनन् पट्टा की स्वीकृति निलामी के माध्यम से किया जाना है । खनिजो की निलामी Mineral (Auction) Rules, 2015 के प्रावधानो के तहत किये जाने हेतु Mineral (Evidence of Mineral Content) Rules, 2015 के नियम 4, 5, 6, एवं 7 के अनुसार खनिजों का अन्वेषण किया जाना आवश्यक है ।

सम्प्रति झारखण्ड राज्य अन्तर्गत खनिजो का विस्तृत भूतात्विक अन्वेषण का कार्य मुख्यतः राज्य के भूतत्व निदेशालय द्वारा किया जाता है। सर्वश्री जी०एस०आई० एवं मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लि० द्वारा कुछ चयनित खनिज ब्लॉको का विस्तृत भूतात्विक अन्वेषण का कार्य किया जाता है।

संशोधित MMDR (Amendment) Act, 2015 के प्रभावी होने के उपरान्त अभी तक राज्य में तीन खनिज ब्लॉको की निलामी की जा सकी है जिसमें चूना पत्थर का दो ब्लॉक भूतत्व निदेशालय एवं स्वर्ण खनिज के ब्लॉक एक ब्लॉक सर्वश्री मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लि० तथा सर्वश्री जी०एस०आई० के द्वारा अन्वेषित थे । भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा खनिज ब्लॉको की निलामी की धीमी गति में तीव्रता लाने हेतु लगातार निर्देशित किया जा रहा है ।

अत राज्य में खनन् ब्लॉको की निलामी कार्य में तीव्रता लाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए खान मंत्रालय, भारत सरकार के सुझाव एवं सर्वश्री एम०ई०सी०एल० से प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त झारखण्ड वित्त नियमावली-235 को शिथिल करते हुए उक्त नियमावली के नियम-245 में वर्णित प्रावधानों के तहत भारत सरकार के उपक्रम सर्वश्री मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लि० नागपुर को झारखण्ड राज्य अन्तर्गत विभिन्न खनिज ब्लॉको का विस्तृत भूतात्विक अन्वेषण, खनिज ब्लॉको का DGPS सर्वे एवं Total Station Demarcation तथा वेधन कार्य के उपरान्त Final Geological Report तैयार करने की सेवाएँ लेने के लिए निम्नांकित शर्तो एवं बंधेजो के अन्तर्गत तीन वर्षो के लिए मनोनयन के आधार पर चयन किया जाता हैः-

(i) भूतत्व निदेशालय, उघोग, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा सर्वश्री एम०ई०सी०एल० को अन्वेषण कार्य हेतु खनिज ब्लॉको को उपलब्ध कराये जायेगे ।

(ii) सर्वश्री एम०ई०सी०एल० भूतत्व निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये खनिज ब्लॉको के विस्तृत भूतात्विक अन्वेषण कार्य के प्रस्ताव को निर्धारित समय सीमा एवं आकलित व्यय के साथ समर्पित करेगी । भूतत्व निदेशालय द्वारा सर्वश्री एम०ई०सी०एल० से प्राप्त खनिज अन्वेषण के प्रस्ताव पर समीक्षोपरांत कार्य आदेश निर्गत किया जायेगा ।

(iii) सर्वश्री एम०ई०सी०एल० कार्य आदेश निर्गत होने के 15 दिनों के अन्दर उक्त ब्लॉक में क्षेत्रीय भूतात्विक अन्वेषण का कार्य प्रारम्भ करेगी ।

(iv) सर्वश्री एम०ई०सी०एल०द्वारा Geological Report के निर्धारित मापदण्डों एवं Mineral (Evidence of Mineral Content) Rules, 2015 के शर्त्तों को पूरा करने हेतु उक्त अन्वेषित खनिज ब्लॉक का Geological Report तैयार किया जायेगा । सर्वश्री एम०ई०सी०एल० द्वारा प्रथमतः Drafts Geological Report भूतत्व निदेशालय को निर्धारित समय सीमा के अन्दर उपस्थापित किया जायेगा । भूतत्व निदेशालय द्वारा Drafts Geological Report के अनुमोदनोपरांत सर्वश्री एम०ई०सी०एल० द्वारा अन्तिम Geological Report प्रस्तुत किया जायेगा जो Mineral (Evidence of Mineral Content) Rules, 2015, Mineral (Auction) Rules, 2015 एवं सर्वश्री GSI द्वारा तय मापदण्डों के अनुरूप होगा ।

(v) सर्वश्री एम०ई०सी०एल० को खनिज ब्लॉको का अन्वेषण कार्य हेतु खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर SoR (Schedule of Rate) एवं शर्तो के अनुरूप भूतत्व निदेशालय द्वारा भुगतान किया जायेगा । भूतत्व निदेशालय द्वारा प्रत्येक ब्लॉको के भूतात्विक अन्वेषण कार्य हेतु सर्वश्री एम०ई०सी०एल० को भुगतान के पूर्व कार्य सम्पादन का प्रमाण पत्र निर्गत करना होगा ।

(vi) सर्वश्री एम०ई०सी०एल० को प्रत्येक खनिज ब्लॉक का अन्वेषण हेतु आकलित राशि का 15% राशि अग्रिम के रूप में भुगतान किया जायेगा जिसका समायोजन अग्रेतर समर्पित मासिक विपत्र से किया जायेगा ।

(vii) भूतत्व निदेशालय द्वारा सर्वश्री मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लि० से अन्वेषण हेतु दिये गये ब्लॉको के लिए सामान्य सूचनाएँ/ऑकड़े वैधानिक अनुमतियों एवं आधारभूत संरचना के तहत संलग्न प्रपत्रों (अनुसूची – I, II एवं III) में समर्पित करेगी ।

(viii) सर्वश्री मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लि० को विभिन्न भूतात्विक अन्वेषणों के लिए देय राशि की गणना एवं आधार अनुसूचित IV, V एवं समय-समय पर खान मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित एवं अधिसूचित दर के अनुरूप होगा ।

(ix) भूतत्व निदेशालय के द्वारा किसी दायित्व के पूरा नही किये जाने की वजह से यदि एम०ई०सी०एल० का वेधन मशीन कार्यरत नही रहता है तो वैसे स्थिति में एम०ई०सी०एल० को उक्त वेधन मशीन के द्वारा उसके पूर्व के माह में किये गये कार्य के समतुल्य राशि का 10ः राशि का क्षतिपूर्त्ति राशि का भुगतान करना पडेगा ।

(x) सर्वश्री एम०ई०सी०एल० के द्वारा स्वयं के दायित्व निर्वाहन् नही करने के कारण यदि कार्य सम्पादन तथा भूतात्विक प्रतिवेदन समर्पित करने में विलम्ब किया जाता है तो भुगतेय राशि के 10% समतुल्य राशि की कटौती भूतत्व निदेशालय के द्वारा की जायेगी ।

(xi) सर्वश्री एम०ई०सी०एल० को भूतात्विक अन्वेषण का मनोनयन पर चयन हेतु कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व एक राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित एकरारनामा (परिशिष्ट-"क) पर सहमति हस्ताक्षरित करना होगा ।

(xii) यह एकरारनामा अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षो के लिए मान्य होगा जो किसी भी समय आपसी सहमति से समाप्त किया जा सकेगा ।

2. प्रस्ताव पर दिनांक 6 अक्टूबर, 2017 को आहूत मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-21 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुनील कुमार वर्णवाल,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 846-100